लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल – 462021
दूरभाष - 0755-2600115
www.educationportal.mp.gov.in, www. shikshaportal.mp.gov.in

क्र./ शिक्षा पोर्टल / नामांकन /2019/23 भोपाल,दिनांक...23/01/19

प्रति,

1- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश
3- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
4- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश
5- समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश
6- समस्त जिला परियोजना समन्वयक (SSA) मध्यप्रदेश

विषय : शिक्षा पोर्टल पर अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को दर्ज कराने की व्यवस्था किये जाने विषयक |
संदर्भ : दिनांक 06/12/2018 को रीवा संभाग की समीक्षा बैठक

विषयान्तर्गत दिनांक 06/12/2018 को रीवा संभाग की समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि शिक्षा पोर्टल पर उन्ही विद्यार्थियों के नामांकन की सुविधा है जिनके पास समग्र id है चूँकि समग्र कार्यक्रम मध्यप्रदेश की योजना है इसलिए मध्यप्रदेश में निवासरत परिवारों / विद्यार्थियों के पास ही समग्र id उपलब्ध होती है | मध्यप्रदेश की सीमा से लगे हुए जिलों की शालाओं में कुछ ऐसे बच्चे भी अध्ययन करते है जो कि रहते अन्य राज्य में है और अध्ययन करने म.प्र. राज्य की शाला में आते है इस कारण उनके पास समग्र id नहीं होता है |

उपरोक्त स्थिति में शत प्रतिशत नामांकन नहीं हो पाता हालाँकि अन्य राज्यों के बच्चों को किसी योजना का लाभ नहीं दिया जाना है केवल उनका नामांकन रिकॉर्ड करना है इसलिए प्रोफाइल अपडेट कराने की आवश्यकता नहीं होगी | अतः ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा पोर्टल पर एक Module NIC द्वारा विकसित कर दिया गया है |

अतः इस प्रकार के विद्यार्थियों का नामांकन शिक्षा पोर्टल पर दर्ज कराएं ताकि शत प्रतिशत नामांकन प्राप्त हो एवं संख्यात्मक रूप से DISE और विध्यार्थीवार पोर्टल के नामांकन में समानता हो | उपरोक्त कार्यवाही 31 जनवरी तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें |

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक,
राज्य शिक्षा केंद्र म.प्र.

(जयश्री कियावत)
आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्रमांक/ शिक्षा पोर्टल/नामांकन /2019/24 भोपाल दिनांक ...23/01/19....

प्रतिलिपिः-

- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ
- अपर परियोजना संचालक, RMSA लोक शिक्षण संचालनालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
- राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, NIC विंध्यांचल भवन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
- अपर संचालक, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (स्थानीय) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

संचालक,
राज्य शिक्षा केंद्र म.प्र.

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.